इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 497] भोपाल, बुधवार, दिनांक 13 सितम्बर 2017—भाद्र 22, शक 1939

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017

सूचना

क्र. डी-15-58-2017-चौदह-3.—मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24, सन् 1973) की धारा 79 की उपधारा (2) के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नानुसार संशोधन करना प्रस्तावित करती है तथा उन समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये, उक्त अधिनियम की धारा 79 की उपधारा (1) के अनुसार प्रारूप प्रकाशित किया जाता है और एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सूचना का ''मध्यप्रदेश राजपत्र'' में प्रकाशन की तारीख से 30 दिवस की कालावधि का अवसान होने पर या उसके पश्चात् उक्त प्रारूप पर विचार किया जायेगा.

किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर जो संशोधन के उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से, ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि का अवसान होने तक या उसके पूर्व प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जाएगा:—

संशोधन का प्रारूप

राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (राज्य विपणन विकास निधि) नियम, 2000 में निम्नलिखित संशोधन करती है,—

उक्त नियमों में,—

(1) नियम 2 में खण्ड (ग) के स्थान पर निम्नानुसार खण्ड प्रतिस्थापित किये जायें, अर्थात्:—

''(ग) **''किसान सड़क निधि''** से अभिप्रेत है कि मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण द्वारा ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रख-रखाव, मंडी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मंडी, उप मंडी प्रांगण की आधारभूत

अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन तथा मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना के लिए संग्रहित रकम.''.

(2) नियम 3 के उपनियम (1) में शब्द **''बैंक ड्राफ्ट''** के स्थान पर शब्द **''बैंक ड्राफ्ट/इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अंतरण''** को प्रतिस्थापित किया जावे.

(3) नियम 6 में उपनियम (1) में के पश्चात् उपनियम (2) एवं इसमें खण्ड निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात्:—

6 (2) किसान सड़क निधि का उपयोग :—

2 (क) नियम 4 खण्ड (क) अनुसार, नियम 6 (1) में उल्लेखित खाते में मंडी समितियों द्वारा जमा की गई राशी अर्थात 85 पैसे में से 58.50 पैसे (अट्ठावन दशमलव पच्चास पैसे) के मान से राशी **''प्रदेश की ग्रामीण सड़कों के निर्माण एवं रखरखाव''** के लिये समय-समय पर मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायी जावेगी.

2 (ख) नियम 4 खण्ड (क) अनुसार, नियम 6 (1) में उल्लेखित खाते में मंडी समितियों द्वारा जमा की गई राशी अर्थात 85 पैसे में से 2.50 पैसे (दो दशमलव पच्चास पैसे) के मान से राशी **''मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि''** के लिए उपलब्ध कराई जावेगी. इस निधि से योजना के अंतर्गत हितग्राहियों/लाभार्थियों को भुगतान के लिए समय-समय पर राशी उपलब्ध करायी जावेगी.

2 (ग) नियम 4 खण्ड (क) अनुसार, नियम 6 (1) में उल्लेखित खाते में मंडी समितियों द्वारा जमा की गई राशी अर्थात 85 पैसे में से 24 पैसे (चौबीस पैसे) के मान से राशी एवं नियम 6 (1) के बैंक खाते में अर्जित ब्याज की राशी **''मंडी क्षेत्र की मूलभूत संरचनाओं, सड़कों तथा मंडी, उप मंडी प्रांगण की आधारभूत अधोसंरचनाओं के निर्माण एवं उन्नयन''** के लिये मंडी बोर्ड के द्वारा व्यय की जावेगी. इस राशी का उपयोग नियम (9) में उल्लेखित **''बोर्ड निधि से निर्माण कार्य करने की प्रक्रिया''** के अनुसार किया जावेगा. इस राशी से व्यय की सम्परीक्षा, मंडी बोर्ड के विभागीय सम्परीक्षकों द्वारा की जावेगी.

(4) नियम 7 के उपनियम (2) में खण्ड (ख-क) में पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंत:स्थापित किया जाये, अर्थात्:—

(खख) बोर्ड के नियम 4 के खण्ड (ख) के अधीन कृषि अनुसंधान तथा अधोसंरचना विकास निधि में, मंडी समिति द्वारा जमा की गई रकम अर्थात् 15 पैसे (पन्द्रह पैसे) में से 1.50 पैसा (एक दशमलव पच्चास पैसा) के मान से राशि **''मुख्यमंत्री कृषक जीवन कल्याण योजना निधि''** में जमा किये जायेंगे तथा योजना के अंतर्गत हितग्राहियों/लाभार्थियों को भुगतान के लिये समय-समय पर निधि से राशि उपलब्ध करायी जावेगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 13 सितम्बर 2017

क्र. डी-15-58-2017-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 13 सितम्बर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.

Bhopal, the 13th September 2017

NOTICE

No. D-15-58-2017-XIV-3.—The following draft of amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000 which the State Government propose to make in exercise of powers conferred by clause (xxi) of sub-section (2) of Section 79 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), is hereby published as required by sub-section (1) of Section 79 of the Adhiniyam for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft of rules will be taken into consideration on the expiry of 30 days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette.

Any objection or suggestion which may be received from any person with respect to the said draft of rules on or before the expiry of the period specified above will be considered by the State Government.

DRAFT OF AMENDMENT

State Government, hereby, publish the amendments in the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (State Marketing Development Fund) Rules, 2000;—

In the said rules—

(1) In rule (2) in place of clause (c), the following clause shall be substituted, namely:—

"(c) Farmer Road Fund means the amount collected for the construction and maintenance of rural roads by Madhya Pradesh Rural Road Development Authority, construction and augmentation of basic infrastructure of market area, roads and essential infrastructure of market and sub market yards and Mukhya Mantri Krishak Jeevan Kalyan Scheme."

(2) In rule (3) after sub-rule (1), the words "bank draft" shall be substituted by the words "bank draft/electronic transfer".

(3) In rule (6) after the sub-rule (1) the following sub-rule (2) and its sub-sections shall be inserted, namely:—

6 (2) Use of Farmer Road Fund:—

2 (A) As per Rule 4 section (a), the money deposited *i.e.* 85 paisa (eighty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6(1), an amount at the rate of 58.50 paisa (Fifty eight and a half paisa) shall be released from time to time to "Madhya Pradesh Rural Road Development Authority" for the purpose of **"Rural road construction and maintenance"**.

2 (B) As per Rule 4 section (a), the money deposited *i.e.* 85 paisa (eighty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6(1), an amount at the rate of 2.50 paisa (two and a half paisa) shall be made available for **"Chief Minister's Farmer Life Welfare Scheme, Fund"** and the money from the said Fund shall be used for the beneficiaries of the scheme from time to time.

2 (C) As per Rule 4 section (a), the money deposited *i.e.* 85 paisa (eithty five paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule 6 (1), an amount at the rate of 24 paisa (twenty four paisa) and the money of interest accured in the bank accounts of Rule 6(1) shall be used by the Mandi Board for **"Construction and augmentation of basis infrastructure of market area, roads and essential infrastructure of market and sub market yards"** The money shall be used as per the procedure laid down in Rule

(9) *i.e.* **"Procedure for doing construction work from Board Fund"** and the audit of the expenditure shall be carried out by the statutory auditors of the Mandi Board.

(4) In Rule (7) sub-rule (2) in place of clause (b-b) the following shall be substituted, namely:—

(b-b) From the money deposited i.e. 15 paisa (fifteen paisa) by the mandi committees in the account as detailed in Rule (4) clause (b), *i.e.* the "Agricultural Research and Infrastructure Development Fund," an amount at the rate of 1.5 paisa (one and a half paisa) shall be deposited in **"Chief Minister's Farmer Life Welfare Scheme Fund"** and the money deposited in the Fund would be used from time to time for the Beneficiaries of the Scheme.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. S. DHURVE, Dy. Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2017.